Speed post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body set up under Art. 338A of the Constitution of India)

Case File No. BR/3/2017/MCOL1/SEOTH/RU-IV Dated: 04.07.2018

To,

The Chairman cum Managing Director,
Central Coalfield Limited,
Darbhanga House,
Ranchi – 834 001 (Jharkhand).

Sub: Minutes of the Sitting taken by Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 25.04.2018 in the matter of Shri Baijnath Ram, Chairman, SC/ST/BC Employees Co-ordination Council, Ramgarh, Jharkhand regarding employment & compensation not given by CCL, Ranchi to the dependents of land owners.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Minutes of the Sitting held under the Chairmanship of Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on 25.04.2018 on the above mentioned subject for perusal.

It is requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within 30 days positively for placing the same before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

04/7/2018

(Y.K. Bansal)
Research Officer

Copy to:-

Shri Baijnath,
Chairman,
All India SC/ST/BC Employees
Co-ordination Council,
Village & Post – Bhurkunda Bazar,
(near Bharat Medical Hall)
District - Ramgarh – 829 106
(Jharkhand)

Copy to: 1- SAS, NIC, NCST.

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

5. पत्रावली संख्या– बी.आर/3/2017/एम.सी.ओ.ली.1/सी.ई.ओ.टी.एच/आर.यू–4

श्री धनेश महली निवासी–गिघी, जिला–हजारी बाग एवं श्री मुन्शी राम मांझी निवासी–उरीमारी जिला–हजारी बाग की जमीन का अधिग्रहण किए जाने के बाद सी. सी.एल. प्रबंधन द्वारा भू–आश्रित को भेदभाव कर रोजगार व मुआवजा से वंचित किए जाने के संबंध में श्री बैजनाथ राम, अध्यक्ष, ऑल इन्डिया शेडयुल्ड कास्टस/शेडयुल्ड ट्राईब्स/बॅकवर्ड क्लासेस एम्पलॉईज को–आर्डिनेशन कौन्सिल, सी.सी.एल जोन, रांची से प्राप्त शिकायत पर श्रीमति माया चिंतामण ईवनात, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष दिनांक 25.4.2018 समय 12:00 बजे हुई सिंटिग का कार्यवृत्त।

श्री बैजनाथ राम अध्यक्ष ऑल इन्डिया शेडयुल्ड कास्टस/शेडयुल्ड ट्राईब्स/बॅकवर्ड क्लासेस एम्पलॉईज को–आर्डिनेशन कौन्सिल सी.सी.एल जोन रांची–भुरकुंडा बाजार, जिला–रामगढ़ ने आयोग को प्रेषित अभ्यावेदन दिनांक 20.6.2017 के तहत आरोपित किया है कि सी.सी.एल रांची प्रबंधन ने श्री धनेश महली निवासी–गिघी, जिला–हजारी बाग एवं श्री मुन्शी राम मांझी निवासी–उरीमारी जिला–हजारी बाग की जमीन का अधिग्रहण कर उन्हे अभी तक जमीन के बदले सरकारी नीति के अनुसार नौकरी व मुआवजा नहीं प्रदान किया है। अभ्यावेदन में आगे बताया है कि भू–आश्रित श्री मुन्शी राम मांझी की जमीन का सेन्ट्रल कोल फिल्ड ली. रांची के उरीमारी प्रोजेक्ट व बिरसा प्रोजेक्ट में 1982 में अधिग्रहण किया गया था। उनके द्वारा कम्पनी को कई बार लिखने के बावजुद अभी तक उन्हे नौकरी प्रदान की गई है।

अभ्यावेदनकर्ता ने बताया की इसी तरह श्री धनेश महली की जमीन खाता संख्या 08 प्लौट न. 105, 371, 382, 401 एवं 405 को सन् 1958 मे रेलिगढा परियोजना हेतु अधिग्रहण किया गया था। पंरतु आज तक उस जमीन के बदले नौकरी व मुआवजा नहीं दिया गया है, वे इस संबंध में कई बार कम्पनी प्रंबधन को लिख चूके है, पंरतु उन पर कोई कार्यवाही नहीं कि गई है।

मामले में संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने एवं रिपोर्ट आयोग को भेजने हेतु पत्र दिनांक 4.7.2017 एवं अनुस्मारक 20.3.2018 के तहत सेन्ट्रल कोल फिल्डस ली. प्रंबधन को लिखा गया था किंतु सम्बन्धित विभाग से अभी तक कोई उत्तर/रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अत़ मामले पर चर्चा/सुनवाई हेतु आयोग की माननीय सदस्य श्रीमति माया चिंतामण ईवनाते द्वारा दिनांक 25.4.2018 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल कोल फिल्डस ली. के साथ आयोग में सिंटिग निश्चित की गई तदनुसार सम्बन्धितों को सिंटिग नोटिस जारी किया गया।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India, New Delhi

चर्चा / सुनवाई

श्री गोपाल सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल कोल फिल्डस ली. अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 25.4.2018 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। अभ्यावेदन कर्ता श्री बैजनाथ राम मांझी भी उक्त सिंटिग में उपस्थित हुए। मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान माननीय सदस्य ने अभ्यावेदन कर्ता से उनकी समस्या के बारे में पुछा जिस पर अभ्यावेदन कर्ता ने बताया कि सी.सी.एल रांची प्रबंधन ने श्री धनेश महली निवासी–गिघी, जिला–हजारी बाग एवं श्री मुन्शी राम मांझी निवासी–उरीमारी जिला–हजारी बाग की जमीन का अधिग्रहण कर उन्हे अभी तक जमीन के बदले सरकारी नीति के अनुसार नौकरी व मुआवजा नहीं प्रदान किया है। अभ्यावेदन में आगे बताया है कि भू–आश्रित श्री मुन्शी राम मांझी की जमीन का सेन्ट्रल कोल फिल्ड ली. रांची के उरीमारी प्रोजेक्ट व बिरसा प्रोजेक्ट में 1982 में अधिग्रहण किया गया था। उनके द्वारा कम्पनी को कई बार लिखने के बावजुद अभी तक उन्हे नौकरी प्रदान की गई है।

अभ्यावेदनकर्ता ने आयोग को यह भी अवगत कराया कि इसी तरह श्री धनेश महली की जमीन खाता संख्या 08 प्लौट न. 105, 371, 382, 401 एवं 405 को सन् 1958 मे रेलिगढा परियोजना हेतु अधिग्रहण किया गया था। पंरतु आज तक उस जमीन के बदले नौकरी व मुआवजा नहीं दिया गया है, वे इस संबंध में कई बार कम्पनी प्रंबधन को लिख चूके है, पंरतु उन पर कोई कार्यवाही नहीं कि गई है।

इस पर आयोग की माननीय सदस्य ने सी.सी.एल प्रबंधन को स्थिति स्पष्ट करने को कहा। सी.सी.एल प्रबंधन ने आयोग को अवगत कराया की 1975 में श्री शोभा माहली से प्लॉट नं. 105 अधिग्रहण करते हुए खरीदा गया था। जिसका मुआवजा श्री शोभा माहली को दे दिया गया था। उन्होने बताया कि प्लॉट नं. 371 का मुआवजा भी भुगता दिया गया था। प्लॉट नं. 382 सरकारी जमीन का था। प्लॉट नं. 401 व 405 करणपूरा माईनिंग के नाम थे। यदि अभ्यावेदक उक्त कथित प्लॉट के बारे में 1960 में अपना भुस्वामित्व रिकोर्ड / दस्तावेज प्रस्तुत करे तो सी.सी.एल द्वारा उन पर यथोचित कार्रवाई हेतु विचार किया जा सकता है। प्लॉट नं. 387 के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

दोनों पक्षों की सुनने के बाद आयोग ने पाया कि सी.सी.एल द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों की जमीन अधिग्रहित की गई है। एक सीमा तक उनकों उक्त जमीन का मुआवजा भी प्रदान किया गया है। किंतु दिया गया मुआवजा उस समय की मुआवजा दर राशि के अनुसार था। जो बहुत ही कम था। अतः आयोग सलाह देता है कि जिन अनुसूचित जनजाति परिवारों की जमीन / प्लॉट अधिग्रहित किए गए थे उनकों पुर्ण मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा सभंवतया उनके परिवार में से किसी एक को रोजगार / नौकरी देने पर विचार करें। प्लॉट नं. 387 के बारे में आयोग को पुरी जानकारी प्रस्तुत करें।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India, New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

बैठक की तिथि: 25.4.2018

(1) Case File No. BR/8/2016/MCOL1/SEOTH/RU-IV
(2) Case File No. BR/3/2017/MCOL1/SEOTH/RU-IV
(3) Case File No. BR/6/2017/MCOL1/SEOTH/RU-IV
(4) Case File No. BR/9/2017/MCOL1/SEOTH/Ru-IV
(5) Case File No. MRM/1/2015/MCOL1/DEOTH/RU-IV

बैठक में भाग लेने वालों की सूचीं:–

National Commission for Scheduled Tribes

Sl. No.	Name and Designation
1.	Smt. Maya Chintamn Ivnate Hon'ble Member
2.	Shri S.K. Ratho, Joint Secretary, NCST
3.	Shri P.T. Jameskutty Deputy Secretary
4.	Shri Sudhir Atram PS to Hon'ble Member
5.	Shri H.R. Meena Sr. Investigator

Ministry of Coal (Central Coal Fields Ltd.)

Sl. No.	Name and Designation
1.	Shri Gopal Singh CMD
2.	Shri Manoj Kumr CM
3.	Shri Ashitava Mukherjee CM (M)
4.	Shri Babu Lal H Manager

Petitioner

Sl. No.	Name and Designation
1.	Shri Beijnath Ram